

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS

Wednesday, 02 December, 2015/ Margshirsha 11, 1937 (Saka)
2.00 P.M

1. **Special Mention(Rule-280) :**

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair :-

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Sh. S.K. Bagga | 6. Sh. Vijender Garg |
| 2. Sh. Anil Kumar Bajpai | 7. Sh. Mahender Goel |
| 3. Sh. Ved Prakash | 8. Ms. Bhavna Gaur |
| 4. Sh. Rajender Pal Gautam | 9. Sh. Vijender Gupta |
| 5. Sh. Sukhbir Singh Dalal | 10. Sh. Som Dutt |

2. **Presentation of Report:**

Sh. Narayan Dutt Sharma

Ms. Bhavna Gaur

to present the **First Report of Ethics Committee (VI Legislative Assembly, NCT of Delhi).**

3. **Paper to be laid on the Table :-**

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister to lay the copy of the Explanatory Memorandum regarding the action taken on the recommendation made by the Fourth Delhi Finance Commission alongwith the report of the Fourth Delhi Finance Commission.

4. **Calling Attention (Rule-54) :**

1. **Sh. Rajender Pal Gautam** to call the attention of the House towards slow process of recruitment by Delhi Subordinate Services Selection Board.
2. **Sh. Somnath Bharti** to call the attention of the House towards non-constitution of Thana Level Committees in Delhi.

5. **Statement by Minister of Tourism & Water :**

Sh. Kapil Mishra, Minister of Tourism & Water to make the following statement in the House:

“We all are aware that instances of harassment, physical & mental torture and even death of brides for want of dowry have increased significantly in recent times. As public representatives & members of this August House, it is our moral and social obligation to take all possible steps to curb this menace and social evil of dowry.

I hereby propose that we as public representatives should attend only those marriages where there is no demand and exchange of dowry. I also urge the government to take steps to encourage, motivate and support those persons who want to promote dowry free marriages.”

6. **Consideration & Passing of Bills:**

1. Sh. Gopal Rai, Minister of Labour to move that the **“Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015.”** introduced on 26 November, 2015 be taken into consideration.

Also to move that the Bill be passed.

2. Sh. Gopal Rai, Minister of Labour to move that **“The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015”** introduced on 26 November, 2015 be taken into consideration.

Also to move that the Bill be passed.

Delhi
02 December, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्य सूची

बुधवार, 02 दिसम्बर, 2015/ मार्गशीर्ष 11, 1937 (शक)
अपराह्न 2.00 बजे

1. **विशेष उल्लेख (नियम-280) :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे :-
 1. श्री एस. के. बग्गा
 2. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
 3. श्री वेद प्रकाश
 4. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
 5. श्री सुखबीर सिंह दलाल
 6. श्री विजेन्द्र गर्ग
 7. श्री महेन्द्र गोयल
 8. सुश्री भावना गौड़
 9. श्री विजेन्द्र गुप्ता
 10. श्री सोम दत्त
2. **समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :**

श्री नारायण दत्त शर्मा
सुश्री भावना गौड़
आचार समिति (छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे ।
3. **सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :-**

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित चौथे दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।
4. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम-54) :-**
 1. श्री राजेन्द्र पाल गौतम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की धीमी प्रक्रिया के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे ।
 2. श्री सोमनाथ भारती दिल्ली में थाना स्तरीय समितियों का गठन न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे ।
5. **पर्यटन और जल मंत्री द्वारा वक्तव्य:**

श्री कपिल मिश्रा, पर्यटन और जल मंत्री सदन में निम्नलिखित वक्तव्य देंगे :
“हम सब को ज्ञात है कि हाल के दिनों में दहेज की मांग के लिए दुल्हनों के उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और यहां तक कि उनकी मृत्यु के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। जन-प्रतिनिधि उच्च सम्मानित सदस्यों के रूप में, नैतिक दायित्व है। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हमें जन प्रतिनिधि के रूप में केवल उन विवाह समारोहों में जाना चाहिए जहां दहेज का प्रदान करने में सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन, प्रेरणक समर्थन दिया जाये जो दहेज मुक्त विवाह चाहते हैं।”
6. **विधेयकों पर विचार व पारित करना :**
 1. श्री गणेश, श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 26 नवम्बर 2015 सदन में स्थापित “न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015” पर विचार किया जाए ।
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक को पारित किया जाए ।
 2. श्री गणेश, श्रम मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 26 नवम्बर 2015 सदन में स्थापित “कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार किया जाए ।
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक को पारित किया जाए ।

दिल्ली
02 दिसम्बर, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव